



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-27.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Dr. Subhash Chandra** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **746** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	PAWAN KUMAR	DHRUV KUMAR, MOB- 9315515131	4	HISAR CANTT, HISAR, HARYANA
2	REENA DEVI	SURESH KUMAR, MOB- 9588326682	9	DELHI BYE PASS, ROHTAK, HARYANA
3	MAHADEV	MANOJ KUMAR, MOB- 9215835737	1	HISAR CANTT, HISAR, HARYANA
4	RISHITA	RAJESH KUMAR, MOB- 9810398161	8	NO.2, SOHNA ROAD, GURGAON
5	KHUSHI	MANOJ KUMAR, MOB- 9315563002	9	HISAR CANTT, HISAR, HARYANA
6	SARRTHAK GUPTA	RAJAT GUPTA, MOB- 9416122507	1	HISAR CANTT, HISAR, HARYANA
7	NIKANSH CHOPRA	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
8	KARTIK	SHRAVAN, MOB- 9812885600	3	HISAR CANTT, HISAR, HARYANA
9	AYUSH	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE STATE OF THE HON'BLE MP		
10	YASH TYAGI	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		

पिता ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिछा ठाकुर
21/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Subhash Chandra माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **GURUGRAM** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

